कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 03.10.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल – 26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जसकरन पुत्र राम सुन्दर नि0 दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 303 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रतीराम पुत्र मंगतू नि0 परासखाल मौजा पूरे मुसद्दी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 346 / 20, 02. झबरे उर्फ लक्ष्मण पुत्र रामतीरथ नि0 रमनगरा मौजा तेलियानी पाठक थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 347 / 20, 03. दिलीप कुमार पुत्र राम प्रसाद नि0 गनवरिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 349 / 20, 04. मनीराम सोनकर पुत्र पंचम नि0 खटिकनपुरवा शाहपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 350 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कल्यान सिंह पुत्र हवलदार सिंह नि0 लक्ष्मनपुर जाट थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 417 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के 02 वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त- 01. शिवकुमार पुत्र शाह, 02. मोहित पुत्र सल्लू नि0 अंधपुर थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी को थाना वजीरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 295 / 20, धारा 363.366 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगण थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गये थे। जिसके संबंध में पीड़िता की माता द्वारा थाना वजीरगंज में उक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें वजीरगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना परसपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शोभित उपाध्याय पुत्र अर्जुन उपाध्याय नि0 उपाध्यायन पुरवा मौजा मरचौरी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

02. विजय कुमार गौतम पुत्र रामकेवल नि0 सरदारपुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 288 / 20 व 289 /20, धारा 8 / 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 420 अल्प्रासेफ-0.5mg नशीली गोलियाँ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2020 को थाना परसपुर के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि दो व्यक्ति संदिग्ध रुप से परसपुर पस्का मार्ग के पास खड़े दिखाई दिये। पुलिस वालो को आता देख वह व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे तत्परता दिखाते हुए परसपुर पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों को पकड़कर जामा तलाशी ली गयी। दौरान जामातलाशी उनके पास से 420 अल्प्रासेफ की नशीली गोलियाँ बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिंह

02. का0 अजय कुमार